गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.09.2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.09.2018 को सायं 04:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
5.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
7.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
8.	प्रो. बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
10.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
11.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
12.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
13.	प्रो. एम.के. सिंह	विशेष आमंत्रित
14.	डॉ0 ए.के. दीक्षित	विशेष आमंत्रित
15.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्मानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो. व्ही.एस. राठौर

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.08.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

स्थायी समिति द्वारा निम्नानुसार संशोधन के साथ बैठक दिनांक 14.08.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई :–

विषय क्रमांक–09 में बिन्दु क्रमांक–06 में ''आंग्ल एवं विदेशी भाषायें विभाग'' के स्थान पर आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग'' अंकित किया जाये।

समिति ने चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया कि पूर्व में उक्त विभाग का नाम Department of English & Foreign Languages (आंग्ल एवं विदेशी भाषायें विभाग) रखा गया था जिसे अब Department of English & Foreign Language (आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग) किया जाये।

विषय क्र. 02 **परीक्षा परिणाम समिति गठन संबंधी।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययनशालाओं के अंतर्गत आने वाले विभागों को वर्ण क्रम (Alphabetical Order) में जमा लिया जाये एवं वर्ण क्रम (Alphabetical Order) में चक्रानुक्रम में विभाग के अध्ययनमंडल के अध्यक्ष परीक्षा परिणाम समिति के सदस्य होंगे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा परिणाम समिति में अध्ययनमण्डल का नाम नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदया विद्यापरिषद की ओर से अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 03 **बिलासपुर विश्वविद्यालय से स्थानांतरित शोधार्थियों के लिए विभागीय शोध समिति (DRC) के गठन पर विचार।**

स्थायी समिति ने शोधार्थियों के स्थानान्तरण संबंधी कृत कार्यवाही की पुष्टि करते हुये निर्णय लिया कि :

अ) ऐसे शोधार्थी जो Pre Ph.D. Course Work उत्तीर्ण है तथा महाविद्यालयों में शोध निर्देशक चाहते उनके लिये DRC गठन हेतु निम्नानुसार शिक्षक विभागीय शोध समिति (DRC) के अध्यक्ष होंगे–

1.	संस्कृत विभाग	–	डॉ0 घनश्याम दुबे
2.	गृह विज्ञान विभाग	–	डॉ0 रश्मि अग्रवाल
3.	धर्म एवं दर्शनशास्त्र विभाग	–	डॉ0 मनीषा दुबे
4.	समाजशास्त्र विभाग	–	डॉ0 प्रतिभा जे. मिश्रा
5.	भूगोल विभाग	–	डॉ0 पारिजात ठाकुर

उपरोक्तानुसार DRC के अध्यक्ष प्रचलित शोध विनियम/अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन DRC गठित कराकर वांछित शिक्षकों का प्रकरण निराकरण हेतु शोध निर्देशक मान्य करते हुये आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

ब) ऐसे प्रभावित शोधार्थी जिनकी Pre Ph.D. Course Work की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है उनकी Phe Ph.D. Course Work की परीक्षा का आयोजन कराया जाये।

स) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय से बिलासपुर विश्वविद्यालय स्थानान्तरण एवं वापसी से प्रभावित शोधार्थियों के प्रकरण, यदि वे किसी प्रकार की छूट चाहते है तो ऐसे प्रकरण पृथक–पृथक विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष रखा जाये ताकि प्रकरणों पर यथोचित निर्णय लिया जा सके।

विषय क्र. 04 **शोधार्थी श्रीमती मीनाक्षी जायसवाल, सहायक प्राध्यापक, फार्मेसी विभाग को शोध ग्रंथ जमा करने के लिये छः माह अतिरिक्त समय प्रदान करने पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रकरण विभागीय शोध समिति को नियमानुसार उचित निर्णय लेने हेतु लौटा दिया जाये।

विषय क्र. 05 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मूल्यांकन और प्रत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना और उनकी निगरानी संबंधी) विनियम 2018 की अधिसूचना अंगीकृत करने पर विचार करना।**

स्थायी समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मूल्यांकन और प्रत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना और उनकी निगरानी संबंधी) विनियम 2018 को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया।

विषय क्र. 06 **बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर में पुनः प्रवेश के संबंधं में प्राप्त प्रकरण पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि ऐसे सभी प्रभावित छात्र–छात्राओं को नये प्रभावी अध्यादेशों के अधीन CBCS प्रणाली के तहत संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाये तथा छात्रों से भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति न करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये।

विषय क्र. 07 **शोध ग्रंथ जमा करने हेतु न्यूनतम रेसीडेंसियल अवधि में स्पष्टता लाने संबंधी विषय पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के शोध विनियम 2010 के प्रावधान के अधीन शोधरत शोधार्थी के लिये न्यूनतम रेसीडेंसियल अवधि के प्रावधान निम्नानुसार होंगे –

i. A candidate can submit his thesis only after completing minimum residential period. Joining any job or service or withdrawal from the program due to any reason will not a bar to submit thesis provided he or she completes minimum residential period.

ii. Minimum residency period will be of three years from the date of admission to Ph.D. program or two year from the date of registration whichever is earlier. However, no research scholar shall be allowed to submit the thesis before the completion of three years from the date of admission to Ph.D. program. A candidate can avail withdrawal from the Ph.D. program only once for such duration, so that after joining the program again, he/she gets sufficient time to complete the residency requirement and is able to complete his/her research work within the maximum duration as stipulated in these regulation or as specified by U.G.C. from time to time.

विषय क्र. 08 **CBCS प्रणाली के अधीन आंतरिक मूल्यांकन एवं UGC के मार्गदर्शिका से मूल्यांकन में पारर्शिता संबंधी प्रावधान पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि CBCS प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकन में पारदर्शिता संबंधी दिशानिर्देश वर्तमान में लागू किया जाना संभव नहीं इस पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि CBCS के तहत जारी 14 अध्यादेशों में से जिन अध्यादेशों में यह अंकित है कि आंतरिक परीक्षाओं का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर किया जायेगा। उनके लिये निम्नानुसार प्रावधान जारी कर दिये जाये –

"आंतरिक परीक्षा में कुल 30% अंकों के लिये होंगी जिसके लिये प्रत्येक सेमेस्टर में 15%–15% अंकों की दो आंतरिक परीक्षायें आयोजित की जायेंगी। विद्यार्थियों के लिये दोनों परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य होगा।"

विषय क्र. 09 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मापदण्ड/प्रक्रिया के लिये (प्रथम संशोधन) विनियम 2018 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध विनियम 2016 के लिये जारी प्रथम संशोधन के प्रावधानों को अंगीकृत करते हुए उक्त प्रावधान को विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के पैरा 4.3 में शमिल कर लिया जाये।

विषय क्र. 10 **बी.टेक प्रथम वर्ष (2017–18) की पुनः परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र/छात्राओं के अभ्यावेदन दिनांक 21.08.2018 पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि B.Tech से संबंधित प्रस्तुत प्रकरण पर अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

विषय क्र. 11 **ग्रंथपाल पद के चयन हेतु अंकों के वितरण के निर्धारण के संबंध में।**

स्थायी समिति ने ग्रंथपाल पर के चयन हेतु प्रस्तावित अंक वितरण में कतिपय सुधार के साथ अनुमोदन किया हैं। अनुमोदित अंक वितरण/अंक योजना कार्यवृत्त के साथ संलग्न है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

अ.अ.वि.क्र.01 परीक्षा आयोजन एवं माध्यम के संबंध में प्रसारित अध्यादेश क्रमांक 26 के प्रारूप पर अभिमत मंगाने हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाये।

अ.अ.वि.क्र.02 शोध प्रवेश परीक्षा के लिये विज्ञापन जारी किये जाने हेतु प्रारूप तैयार करने सीट संख्या के निर्धारण पर चर्चा की गई।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विभागीय मांग के आधार पर विज्ञापन का प्रारूप तैयार किया जाये एवं यूजीसी से प्रस्तावित सीट संख्या के आधार पर Non-NET Fellowhip के लिये बजट/फंड की मांग की जाये।

अ.अ.वि.क्र.03 कुलपति महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी दीक्षांत समारोह का आयोजन 16.11.2018 (शुक्रवार) को किया जायेगा, जिसकी सूचना स्थायी समिति ने ग्रहण की एवं प्रसन्नता व्यक्त की।

अ.अ.वि.क्र.04 विभागों में एलुमनी मीट के आयोजन एवं गठन संबंधी कार्यवाहियों का नियमन करने के लिये विनियम की आवश्यकता पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि डॉ0एल. पी. पटैरिया इस हेतु विनियम का प्रारूप तैयार का स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष